न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/ 661 दिनांक – 01.4.19

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 शंकरलाल धीरावत पुत्र न्यालाराम जाति सांसी सांसियों की ढाणी (महाबार) तहसील व जिला बाडमेर।		1 जयप्रकाश सिंघल पुत्र मदनलाल सिंघल 2 मदनलाल सिंघल पुत्र चुतरभुज जाति अग्रवाल निवासी स्टेशन रोड बाडमेर 3 जेठाराम पुत्र लिखमाराम जाति मेघवाल निवासी बाडमेर गादान 4 सरस्वतीदेवी पत्नी भोमाराम जाति जटिया निवासी शरणार्थी क्वाटर के पास, जटियों का वास चौहटन रोड बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 05/2019 दिनांक– 28.03.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाडमेर गादान पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3159/2238 रकबा 01.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फ़सल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2019/ 662-665 दिनांक– 01.4.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाडमेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. शंकरलाल धीरावत पुत्र न्यालाराम जाति सांसी सांसियों की ढाणी (महाबार) तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी जयप्रकाश सिंघल पुत्र मदनलाल सिंघल वगैराह जाति अग्रवाल निवासी स्टेशन रोड बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner